राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 19/2024 अपील

शंकरलाल पुत्र लक्ष्मीचन्द धाकड़ निवासी जावदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

बनाम

1. गीता बाई पत्नी छीतरलाल धोबी निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. भंवरलाल पुत्र छीतरलाल धोबी निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
3. रेखा पुत्री छीतरलाल धोबी निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा प्रकरण सं. 04/2022 अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 12/02/2024

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित –

1. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. श्री राकेश चौहान, रेस्पोन्डेन्ट्स अधिवक्ता

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 10/02/2026

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने वाकियाती व कानूनी गंभीर त्रुटि फरमायी है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजियात रकबा 0.3804 हैक्टेयर में से 0.1254 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा कर लिया जाना कथित कर बेदखल किये जाने का निर्णय चाहा गया। अपीलार्थी/विपक्षी ने अधिनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान गलत किया गया है, उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः नपती किये जाने का निवेदन किया व यह भी निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण का कब्जा उनकी खातेदारी भूमि जो सम्पूर्ण रकबा करीब 02 बीघा है सम्पूर्ण पर कब्जा

10.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है तथा आवंटन के समय से ही पक्षकारान इसी अनुसार बैठे होकर मौके पर स्थाई मेड़ व दीवार वर्षों से बनी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के जवाब पर गौर नहीं फरमाकर मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 11/07/2022 व दिनांक 05/02/2024 का विवेचन उचित प्रकार से नहीं किया। रिपोर्ट दिनांक 11/07/2022 में पक्की दीवार व पेड़ पौधे लगे होकर जमीन पर फसल काश्त है किन्तु यह दीवार कितनी पुरानी है ओर पेड पौधे कितने वर्ष पुराने है इसका विवरण अंकित नहीं है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट से यह स्थिति साफ नहीं हो रही है कि अपीलार्थी का कब्जा कितना पुराना है। इसके अलावा प्रत्यर्थीगण का शेष जमीन पर कब्जा काश्त कितने बीघा पर है इसका भी वर्णन मौका रिपोर्ट में नहीं है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट द्वारा यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि प्रत्यर्थीगण का कब्जा उसके सम्पूर्ण रकबे पर है या नहीं जैसा कि अपीलार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है। वास्तविक स्थिति यह है कि प्रत्यर्थीगण का कब्जा उनके सम्पूर्ण रकबे पर है केवल नपती करने का ही अंतर होकर अनावश्यक रूप से अपीलार्थी को अतिक्रमी बताया जा रहा है। प्रत्यर्थीगण का आराजियात की नपती यदि सही व स्थायी मुटाम से की जाती है ओर प्रत्यर्थीगण के कब्जे वाले रकबे की गणना की जाती है तो प्रत्यर्थीगण के खातेदारी भूमि में अंकित वादग्रस्त आराजियात के सम्पूर्ण रकबे पर उनका कब्जा है किन्तु प्रत्यर्थीगण अधिक रकबे पर काबिज होना चाहते है और नपती की त्रुटि का नाजायज लाभ अर्जित करना चाहकर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण की आराजियात के मध्य करीब 20 वर्ष से भी अधिक समय पुरानी मेड़ व पक्की दीवार बनी हुई है जो तत्कालीन खातेदार छीतरलाल धोबी की सहमति से बनाई गई थी ओर उसी स्थान पर दोनो पक्षकारान विगत 20 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज चले आ रह है। इस प्रकार धारा 183 (बी) के तहत पेश किया गया प्रकरण अवधि बाहर है क्योंकि कब्जा प्राप्त करने की समयावधि 12 वर्ष है। सम्पूर्ण प्रकरण में प्रत्यर्थीगण ने अपनी आराजी पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा कब किया गया इसकी अवधि, समय, संवत् या दिनांक अंकित नहीं की है इससे स्पष्ट है कि निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के बाद यह प्रकरण पेश किया गया है जो कालातित होकर चलने योग्य नहीं हो खारिज योग्य था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर प्रकरण में विचार नहीं कर त्रुटिपूर्ण गैर कानूनी निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी के निवेदन के उपरांत भी अपीलार्थी की मौजूदगी में पुनः स्थायी मुटाम किशपुरीया सीमाये से सीमांकन नहीं किया गया है जबकि न्यायहित में अपीलार्थी की उपस्थिति में पुनः मौका निरीक्षण व सीमा की नपती की जानी चाहिये थी जिससे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होकर प्रत्यर्थीगण के सम्पूर्ण रकबे पर काबिज होने का तथ्य स्पष्ट हो जाता ओर प्रत्यर्थीगण का प्रकरण अवश्य ही खारिज होता किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन वैधानिक बिन्दुओं पर गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलार्थी की खातेदारी भूमि पर अकारण ही प्रत्यर्थीगण का कब्जा होकर उनकी खातेदारी भूमि से अधिक रकबे पर कब्जा हो जायेगा जिसके अधिकारी प्रत्यर्थीगण नही है। इस प्रकार अपीलार्थी किसी भी प्रकार से अतिक्रमी नही होकर पारित निर्णय निरस्त योग्य है। अन्य वजुवात अपीलार्थी की ओर से वक्त बहस अर्ज किये जायेगें। अपील अन्दर अवधि पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त होने से अपील श्रीमान् के समायत योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12/02/2024 प्रकरण सं. 04/2022 को निरस्त फरमाया जाकर प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर रेस्पोन्डेन्टस् को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोन्डेन्टस कि लिखित बहस प्राप्त।

रेस्पीडेन्ट्स की लिखित बहस अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित तौर पर पारित की गई है तथा दस्तावेजी साक्ष्य व बयानों के आधार पर पारित की गई जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की कोई भी संभावना नहीं है तथा उक्त निर्णय व डिक्री की अपील अपीलार्थी की गई है जो गलत की गई है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट् ने एक दावा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा के यहां धारा 183(बी) राज. काश्त. अधि. के तहत आवेदन कर अपनी राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारी आराजीयात 1943/1825 रकबा 0.2590 हेक्ट. में 0.0930 है एवं आराजी नं. 1944/92 रकबा 0.1214 हैक्ट में से 0.0324 है भूमि पर शंकर लाल पिता लक्ष्मीचन्द धाकड़ निवासी जावदा का अवैध कब्जा होने तथा उस अवैध कब्जा होने को हटाये जाने के लिए निवेदन किया तथा उक्त अवैध कब्जे के बाबत करवाई गई पत्थरगढ़ी की प्रति भी पेश की जिसमें अपीलार्थी शंकरलाल पिता लक्ष्मीचन्द धाकड का उक्त रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अवैध कब्जा होने तथा उसे हटाये जाने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने का विवरण है इस आधार पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय में अवैध कब्जे को हटाने तथा भूमि से बेदखल करने का आवेदन किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी/अपीलार्थी को नोटिस जारी हुये तथा पटवार हल्का की रिपोर्ट मंगवाई गई जिससे ज्ञान हुआ कि उक्त अपीलार्थी का उक्त भूमि पर अवैध कब्जा है तथा पक्की दिवार कर पेड़ पौधे लगाकर जमीन पर फसल काश्त कर रहा है। भू.अ.नि. की मौका रिपोर्ट में भी 0.1254 हेक्ट भूमि पर शंकरलाल पिता लक्ष्मीचन्द का अवैध कब्जा बताया गया है। इस प्रकार समस्त रिपोर्टों के अनुसार अपीलार्थी अवैध तरिके से उक्त भूमि पर कब्जा कर बैठा है तथा उसे उक्त खातेदारों की भूमि से हटाया या बेदखल किया जाना आवश्यक है उक्त समस्त साक्ष्यो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त ग्राम बिजौलिया कला की आराजी सं. 1943/1825 रकबा 0.2590 हैक्ट में 0.0930 है. एवं आराजी नं. 1944/92 रकबा 0.1214 हैक्ट. में से 0.0324 है. भूमि से शंकरलाल पिता लक्ष्मीचन्द धाकड़ निवासी जावदा की भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया व लगान के 0.39 रुपये का 50 गुणा राशि 20/–रु की शास्ति भी आरोपित की गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री में कोई भी त्रुटि की संभावना नहीं है तथा समस्त तथ्यों व जानकारी के बाद ही उक्त निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो सही पारित की गई है। उक्त अपील में अपीलार्थी ने स्वयं माना है कि उक्त भूमि पर उसका अवैध कब्जा है तथा अपीलार्थी ने अपनी अपील में पक्की दिवार व पेड पौधे लगे होकर जमीन पर काश्त है तथा कब्जा कितना पुराना है तथा दीवार कितनी पुरानी है का वर्णन किया है तथा मौके पर्चा को गलत बताया है तथा उसमें स्पष्ट विवरण नहीं होना बताकर मौका पर्चा को गलत बताकर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा बताया है। अपीलार्थी का यह कहना की उक्त सम्पूर्ण भूमि पर उसी का कब्जा है गलत है क्योंकि समस्त मौके पर्चे अनुसार उक्त भूमि पर अपीलार्थी को कुछ ही भाग पर अवैध कब्जा है तथा उक्त कब्जा अवैध तरिके से कुछ समय ही किया गया है तथा कब्जा कर उस पर दीवार कुछ समय पूर्व बनाई

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

है तथा यदि पूर्व में कुछ समय पूर्व कर कब्जा रहा हो तो भी उक्त कब्जा अवैध ही माना जायेगा क्योकि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में खातेदारो के नाम पर दर्ज है। तथा खातेदार उसके वैध स्वामी है तथा अपीलार्थी अवैध कब्जा कर उक्त भूमि को अपनी भूमि बता रहा है जो गलत है तथा कानूनीरूप से सही नहीं है। इस प्रकार अपील गलत पेश की गई है तथा इसमें कोई भी नया तथ्य नहीं इंगित किया गया है तथा अपील सारहीन होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है। अपील के पैरा सं. 4 में वर्णितानुसार यदि नपती रही व सही मुटाम से की जाती तो कब्जा प्रत्यर्थीगण का निकलता तथा यह कहना की प्रत्ययीगण ने अधिक रकबे पर काबिज होकर नाजायत लान अर्जित करने से उक्त आवेदन किया है गलत है क्योकि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने पत्थरगढी करवाई तथा उक्त पर्चा मौका में अपीलार्थी का कब्जा व दीवार बनी हुई तथा मौके पर पेड़ पौधे लगे होकर फसल बोई जाना अंकित किया अपना कब्जा पूराना होना बताया परन्तु ऐसा कोई भी दस्तावेज साक्ष्य या गवाह पेश नहीं किया गया उसी अनुसार प्रत्यथीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में कब्जा बेदखली का आवेदन किया प्रत्यर्थीगण न तो किसी की भूमि पर अवैध कब्जा किये है और न ही किसी की भूमि को अपनी भूमि में शामिल करवाना चाहते है केवल प्रत्यर्थी अपनी राजस्व भूमि पर हुये अपीलार्थी के कब्जे को हटाना चाह रहे है तो शाश्वत सत्य है तथा अपीलार्थी उक्त तथ्य के आड में अपने कब्जे को वैध बता रहा है जो गलत हे तथा ऐसा कब्जा अवैध होकर उसे बेदखल किया जाने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है जो सही है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह बताया की तत्कालीन खातेदार छीतरमल धोबी की सहमति से दीवार बनाई तथा उस पर 20 वर्षों से कब्जा सहमति से होना अंकित किया है गलत अंकित किया है क्योकि प्रत्यर्थीगण के पति व पिता छितर पिता किशन धोबी ने ऐसी कोई भी लिखित मौखिक सहमति नहीं दी बल्कि अपीलार्थी ने गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से अपना प्रभाव होने से उक्त भूमि पर जबरन दिवार का निर्माण करवाया व रोके जाने पर अपनी ही भूमि पर दीवार होना व यदि गलत जगह दिवार बनी होगी तो उसे हटा लेगें कहकर भूमि पर अपने रसूख से दीवार बनवा ली तथा आनाकानी करने पर पुलिस कार्यवाही करने की धमकिया दी। इस प्रकार अपने प्रभाव से उक्त दीवार बनाई जिसमें प्रत्यर्थीगण के पिता/पति की कोई सहमति नहीं रही है तथा ऐसा कब्जा अवैध ही है। उक्त पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा सही तैयार किया गया तथा मौक पर सही जरिब व उपयुक्त स्थान पर मुटाम लिया गया तथा उसी रिपोर्टनुसार उक्त अवैध कब्जा होने का पता चला। यह कहना की गलत मुटाम से नपती की गई है गलत है क्योकि उसके बाद दो पटवारी रिपोर्ट व भू.अ.नि. तथा तहसीलदार की रिपोर्ट उक्त अवैध कब्जे को दर्शाती है। इस प्रकार अगर एक रिपोर्ट गलत हो सकती है क्या सभी रिपोर्ट गलत है। क्योंकि सभी मौका पर्चा रिपोर्टों में अपीलाथी का अवैध कब्जा है जिसे हटाया जाने का विवरण उक्तानुसार ही अधिनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय व डिक्री पारित की है। धारा 183 (बी) राज.काश्त.अधिनियम के अनुसार यदि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की खातेदारी भूमि पर कोई भी अवैध कब्जा अधिकार है तो उसे ऐसे कब्जे अधिकार से उस भूमि जिस पर कब्जा अधिकार बताया है से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है इस प्रकार उक्त धारा में स्पष्ट निर्देश दिया गया है की उक्त अवैध कब्जा जो की अपीलार्थी के द्वारा किया गया जिसका विवरण मौका पर्चा में है प्रार्थीगण के आवेदन करने पर ऐसे अवैध कब्जे से बेदखल किया जाना उचित है इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलार्थी के द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाकर उसे उक्त भूमि से बेदखली के आदेश पारित किये गये है जो सही पारित किये

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गये है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उक्त अवैध कब्जे पर बेदखली के साथ लगाई गई शास्ति की राशि का अंकन कम किया गया है जिसे श्रीमान के द्वारा बढ़ाया जाना आवश्यक है जिससे की उक्त अवैध कब्जे की पुनर्रावति नही हो। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त अपील सारहीन होने से काबिल खारिज किये जाने योग्य है तथा उक्त अपील को खारिज फरमा अपीलार्थी के अवैध कब्जे को हटाये जाकर उसी बेदखली का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त मनन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विवेचन उपरान्त पाया गया कि उभयपक्षों के मध्य विवाद पुरानी मेड़ व दीवार को लेकर है। अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य है, अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीए स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार बिजौलिया को रिमाण्ड कर निर्देशित किया है उभयपक्षों की सुनवाई का मौका दिया जाकर व तरमीम के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.2.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा